

निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण संख्या – 60/2024(रे0वाद)

दायर दिनांक – 07/08/2024

निर्णय दिनांक – 03/01/2025

अनवान

1. छितर पिता कुशाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम वेणाखेड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
–वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द
–प्रतिवादी

उपस्थित :-

वादी की ओर से – श्री लूम्बसिंह, अधिवक्ता, श्री ओमप्रकाश अग्रवाल, अधिवक्ता।

प्रतिवादी की ओर से- पैरोकार सरकार

वाद पत्र :-अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धरा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि वादी की स्वामित्व व आधिपत्य व खातेदारी, भूमि राजस्व ग्राम वेणाखेड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2076 के खाता संख्या 54 आराजी नम्बर 353 क्षेत्रफल 0.0300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 355 क्षेत्रफल 0.0500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 358 क्षेत्रफल 0.0700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 359 क्षेत्रफल 0.2400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 367 क्षेत्रफल 0.1400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 372 क्षेत्रफल 0.1200 हैक्टेयर, कुल किता 6 कुल क्षेत्रफल 0.6500 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 114 आराजी नम्बर 708 क्षेत्रफल 6.0800 हैक्टेयर, स्थित होकर वादी कि संयुक्त परिवार की सम्पति है, जो उत्तराधिकारी में वादी संयुक्त रूप से मिली होकर संयुक्त स्वामित्व व अधिपत्य की है, किन्तु उक्त भूमि में वादी के पिता कि मृत्यु के बाद राजस्व रेकार्ड में विरासत का नामान्तरण खालते समय वादी का नाम गलत दर्ज घीसु पिता कुशाल दर्ज हो गया जबकि वास्तविक में छितर पिता कुशाल दर्ज होना चाहिये था। परन्तु गलती से घीसु पिता कुशाल दर्ज हो



गया था। वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 54 में क्रम संख्या 3 पर व खाता संख्या 114 में क्रम संख्या 4 पर घीसु पिता कुशाल नाम गलत है। वास्तव में छितर पिता कुशाल होना चाहिये था। पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण खोलते समय मेरे बोलते नाम घीसु दर्ज कर दिया बिना जांच किये दुसरो के कहने से नाम घीसु बता दिया गया था। जिससे मेरा वास्तविक नाम छितर के बजाय राजस्व रेकार्ड में घीसु दर्ज हो गया है वर्तमान जमाबन्दी में अभी तक चला आ रहा है उसको दुरस्त करवाने हेतु वाद पत्र पेश है। मेरे राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, वोटर आई. डी., आधार कार्ड, में मेरा नाम छितर पिता कुशाल दर्ज है एवं इसी नाम से मुझे पुकारा जाता है। मुझे कृषि भूमि पर ऋण वगैरहा लेने से जमीन की नकले निकलवाई तब मुझे गलत नाम का मुझे पता चला एवं जानकारी हुई। भूमि का नामान्तरकरण के समय में नाबालिग था एवं मेरे भाईयों के नाम के साथ मेरा नाम घीसु पिता कुशाल भुल से लिखा गया है जबकी मेरा नाम छितर पिता कुशाल है। राजस्व रेकार्ड में मिस्टेक हुई है जिसे सुधारने हेतु यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट पेश किया जा रहा है। श्रीमान तहसीलदार सा० भूमि धारी होने से व राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने से पक्षकार बनाया गया है। वादग्रस्त भूमि वेणाखेडा पटवार मण्डल मदारिया तहसील देवगढ में स्थित होकर वाद पत्र न्यायालय आपको क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन हे कि वाद पत्र स्वीकार कर राजस्व ग्राम वेणाखेडा पटवार मण्डल मदारिया में जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2076 में वादी की खाता संख्या 54 आराजी नम्बर 353 क्षेत्रफल 0.0300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 355 क्षेत्रफल 0.0500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 358 क्षेत्रफल 0.0700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 359 क्षेत्रफल 0.2400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 367 क्षेत्रफल 0.1400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 372 क्षेत्रफल 0.1200 हैक्टेयर, कुल किता 6 कुल क्षेत्रफल 0.6500 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 114 आराजी नम्बर 708 क्षेत्रफल 6.0800 हैक्टेयर, भूमि में घीसु पिता कुशाल नाम दर्ज है जो गलत है जबकी छितर पिता कुशाल होना चाहिये। व घीसु पिता कुशाल नाम का कोई



मेर परिवार व गांव में काई व्यक्ति नहीं है व ताईद में शपथ पत्र, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, वोटर आई. डी., आधार कार्ड, संलग्न है। वादी के रेकार्ड में सुधार कर घीसु पिता कुशाल के बजाय छितर पिता कुशाल दर्ज करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी परोकार सरकार ने अपना जवाब प्रस्तुत किया कि वादी छीतर पिता कुशाल गुर्जर निवासी वेणाखेड़ा का नाम मौजा वेणाखेड़ा की ऑनलॉइन जमाबंदी खाता संख्या 54, 114 में सहखातेदारी रूप से घीसू पिता कुशाल नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मौजा वेणाखेड़ा में मजमेआम में जानकारी करने पर पाया कि ग्राम में घीसू पिता कुशाल नाम कोई व्यक्ति नहीं है ना ही पूर्व में कोई था। उक्त घीसू पिता कुशाल के नाम से वर्णित कृषि भूमि पर कब्जा कास्त धारी व्यक्ति छीतर पिता कुशाल है जिसका नाम ग्राम की वर्तमान ऑनलाईन जमाबंदी के खाता संख्या 110, 51, 4, 56, 57 में सही रूप में अंकित है परन्तु खाता संख्या 54 और 114 में अशुद्धि रूप से घीसू पिता कुशाल अंकित है वादी का नाम आधार कार्ड में छीतर पिता कुशाल नाम से ही अंकित है वादी का नाम आधार कार्ड में छीतर पिता कुशाल नाम से ही अंकित हुआ है व ग्राम में भी व्यक्ति छीतर पिता कुशाल नाम से ही जाना जाता है। पैरोकार सरकार के जवाब के साथ संलग्न पटवारी रिपोर्ट में भी अंकित है कि वादी का नाम घीसू पिता कुशाल के बजाय छीतर पिता कुशाल किया जाना उचित है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 निम्न प्रकार है:—

88. Suits for declaration of right—

(1) Any person claiming to be a tenant or a co-tenant may sue for a declaration that he is a tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy.



(2) A tenant of Khudkasht may sue for a declaration that he is such a tenant.

(3) A sub-tenant may sue the person from whom he holds for declaration that he is a sub-tenant.


(4) A landholder other than a State Government may sue a person claiming to be a tenant or co-tenant of a holding or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant for a declaration of the right of such person.

वादी ने ओर कोई साक्ष्य, सबूत पेश नहीं करना चाहा। अधिवक्ता वादी को सुना गया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वादी स्वयं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपने वादपत्र को सिद्ध करने में सफल रहा है।

अतः वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर वादी के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां ग्राम वेणाखेड़ा पटवार मण्डल मदारिया तहसील देवगढ़ की जमाबन्दी संवत् 2076-2076 के खाता संख्या 54, 114 में वादी का नाम घीसू पिता कुशाल के बजाय छितर पिता कुशाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03/01/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।




(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्ध

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द
पीठासीन अधिकारी :- अर्चना चौधरी आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या :- 60/2024

अनवान

1. छितर पिता कुशल जाति गुर्जर निवासी ग्राम वेणाखेड़ा तहसील देवगढ़ जिला
राजसमन्द

—वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द

—प्रतिवादी


उपस्थित :-

वादी की ओर से – श्री लूम्बसिंह, अधिवक्ता, श्री ओमप्रकाश अग्रवाल, अधिवक्ता।
प्रतिवादी की ओर से— पैरोकार सरकार

में इस आशय मे दिनांक 03/01/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम
निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी
के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां ग्राम वेणाखेड़ा पटवार मण्डल मदारिया तहसील
देवगढ़ की जमाबन्दी संवत् 2076–2076 के खाता संख्या 54, 114 में वादी का नाम
घीसू पिता कुशल के बजाय छितर पिता कुशल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते
है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार देवगढ़ को
लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03/01/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास
सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।




(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द